

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं/

5323-24

दिनांक 20-03-2023

1. मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

2. अतिरिक्त निदेशक (खान)
सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास,
नोडल अधिकारी वन मामलात,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
खनिज भवन, उदयपुर।

विषय:- Diversion of 189.2515 ha. of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan . (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

सन्दर्भ:- सहायक महानिरीक्षक वन, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक 8-14/2021-F(VOI) दिनांक 24.08.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 4894-95 दिनांक 14.02.2023

महोदय,

- A. उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 14.02.2023 के क्रम में लेख है कि इस परियोजना हेतु पूर्व में प्रस्तावित 248.5515 हैक्टर वन क्षेत्र को कम कर 189.2515 हैक्टर वन क्षेत्र बाबत प्रत्यावर्तन की कार्यवाही हेतु परिवेश पोर्टल पर वांछित संशोधन कर तदानुसार केएमएल फाईल, डीजीपीएस मेप जी.टी. शीट लागत लाभ विश्लेषण आदि दस्तावेज अपलोड करने हेतु लिखा गया था। किन्तु प्रस्ताव के परीक्षणोंपरांत स्थिति पूर्वानुसार ही पाई गई है।
- B. उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव पर आज दिनांक 20.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे अरण्य भवन में आयोजित मीटिंग में उपस्थित अधिकारीगण उप वन संरक्षक, एफसीए, उप वन संरक्षक, भरतपुर खनि अभियंता भरतपुर के साथ विचार विमर्श उपरांत निम्नांकित कमियों की पूर्ति हेतु वार्ता की गई:-
1. केएमएल फाईल, डीजीपीएस नक्शा, सेपटी जोन लागत लाभ विश्लेषण पूर्वानुसार है।
 2. नवीन माईनिंग प्लान (189.2515 हैक्टर) हेतु संलग्न किया जाना है।
 3. गैर वन क्षेत्र को पाँच गुणा लिया है, कारण स्पष्ट करावें।
 4. माईनिंग रिक्लेमेशन प्लान संलग्न नहीं हैं।
 5. दोनों ब्लॉक का कुल एरिया को वन एवं अभयारण्य के ESZ सीमा सहित मार्क करावें।
 6. साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट संलग्न की गयी है किन्तु उसे पार्ट-II में सही जगह अपलोड करें।
 7. वृक्षों की गणना अलग-अलग अर्थात कही पर 1,89,000 है तो कही पर 872 एवं 812 भी बताई है। पार्ट-II अनुसार गणना में एक रूपता रखी जावें।
 8. डीजीपीएस मेप को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड नहीं करनी है।
- C. उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2022 की सूचना भी नवीन प्रस्तावित वन क्षेत्र 189.2515 हैक्टर हेतु बिन्दुवार प्रेषित करें।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
2. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवासा, भरतपुर

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर